प्रपत्र–इक्यावन

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32 का उपनियम (15) देखें)

प्रपत्र–सात एवं आठ प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में क्षमा प्रार्थना पत्र

सेवा में,

परिसम्भागीय एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
....

महोदय,

सर्वश्री ....जिसका मुख्य कारबार स्थल ....में स्थित है जो वाणिज्य कर खण्ड/मण्डल .... की क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है और उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र/टिन धारक है।

कारबार के विवरण, जिसके सम्बन्ध में पंजीयन प्रमाणपत्र लागू हो, इस प्रमाण–पत्र से यथा संलग्न प्रपत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर–सात/सात–जी में संलग्न किये जा रहे हैं।

पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक मान्य था। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर प्रपत्र–सात एवं सातजी एवं प्रपत्र–आठ निम्न कारणों से विहित समय के अंतर्गत प्रस्तुत नही किये जा सके थे:–

....
....
....
....
....
....
....

दिनांक 01.01.2008 से प्रार्थना पत्र के दिनांक तक के कर अवधियों की कर विवरणी प्रस्तुत कर दी गई है और ब्याज सहित शुद्ध कर निम्नानुसार जमा करा दिया गया है:–

क्रम संख्या	कर अवधि समाप्त होने का दिनांक	रसीद संख्या तथा दिनांक	शुद्ध देय कर की धनराशि	ब्याज की धनराशि	भुगतान की गई धनराशि की ट्रेजरी चालान संख्या तथा दिनांक
1	2	3	4	5	6

विलम्ब शुल्क का विवरण

विलम्ब की अवधि – दिनांक 01.4.2009 से ....(प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक तक)

विलम्ब शुल्क की धनराशि –

(क) दिसम्बर 2010 तक रु0 500 प्रतिमाह अथवा उसके भाग की दर से ....
(ख) दि0 01.01.2011 से रु0 1000 प्रतिमाह अथवा उसके भाग की दर से ....
(ग) शुल्क की कुल धनराशि ....
(घ) ट्रेजरी चालान संख्या .... तिथि .... बैंक एवं शाखा का नाम......................................

प्रार्थना

उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण प्रार्थी निर्धारित समय के अंतर्गत प्रपत्र–सात एवं सातजी एवं प्रपत्र–आठ प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। अतएव आपसे अनुरोध है कि विलम्ब क्षमा प्रदान करें तथा पंजीयन प्राधिकारी को इस प्रार्थनापत्र को समय से प्रस्तुत किया हुआ मानने का निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रास्थिति (स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि जैसा कि नियम–32 के उपनियम (6) में व्यवस्था है) .... एतद् द्वारा घोषणा करते हैं तथा प्रमाणित करते हैं कि दिये गये विवरण तथा ऑकड़ें, मेरे सर्वोच्च ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण हैं तथा कोई भी तथ्य जानबूझ कर छिपाया नही गया है अथवा मिथ्या उल्लिखित नहीं किया गया है।

दिनांक ....

स्थान ....

साझीदार/स्वामी/कर्ता का नाम एवं
हस्ताक्षर..
प्रास्थिति...
व्यवहारी का नाम....................................

संलग्नक :–

(एक) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन प्रदान किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र (फार्म–15)
(दो) प्रपत्र यू0पी0 वैट–सात एवं सातजी एवं प्रपत्र–आठ वॉछित अनुलग्नकों सहित पूर्णतः भरे हुये हैं

टिप्पणी : इस प्रार्थना पत्र पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 32 के उपनियम (6) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।